

व्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्रालियर (म०प्र०)
प्रकाश धूमाक R- ५१७३-८०१७



1- रामजी तनय गंगादीन निवासी ग्राम नेमुआ तहसील
रामपुर बाघेलान, जिला सतना म०प्र०

निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1- यशवंत सिंह तनय तोषण सिंह निवासी ग्राम दलदल,
तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म०प्र०
मुरलीधर नवदवानी तनय राधामल नवदवानी निवासी
भरहुल नगर, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म०प्र०

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व
निरीक्षक सर्किल रामपुर बाघेलान,
प्रकरण क्रमांक २३३१२/१५-१६
पारित आदेश दिनांक १०-०६-१६

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैः-

- 1- यह कि आलोच्य आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि आलोच्य आदेश वैसर्गिक व्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 3- यह कि आलोच्य आदेश आर०आई० के द्वारा निगरानीकर्ता को कोई सम्मन, सूचना नहीं दिया गया है न ही मौके पर कोई सीमांकन किया गया है बल्कि आर०आई० द्वारा अपने कार्यालय में ही बैठकर समरूप कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
- 4- यह कि जो सीमांकन किया गया है उसमें मौके की स्थिति के विपरीत है क्योंकि सीमांकित आराजी तथा निगरानीकर्ता के आराजी के मध्य बांणसागर झहर अपर

रामजी

(1)

(12)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... R 5173-II/2017..... जिला..... सतना

..... रामजी कॉर्ट ..विरुद्ध ..यशवत्ति सिंह.....

1	2	3
15-1-11	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>चिन्द्रिष्ण चिन्हानी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त. <u>रामपुरकलानि</u> तहसील. <u>रामपुरकलानि</u> के प्रकरण क्रमांक. 23/312/1.52/16. में पारित आदेश दिनांक 10-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर. <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-2019 को कलेक्टर. <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">सदस्य</p>	